राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमाक:पं0 34(5)चिस्वा/2/2018 जयपुर,दिनांक 02/05/18

निदेशक,(जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर।

विषयः–माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या 83 एवं 304 की कियान्विति अन्तर्गत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुवाडिया (गढी) बांसवाडा के स्थान पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पनासी छोटी पंचायत समिति गढी जिला बांसवाडा में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कमोन्नत किये जाने की पदों सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि समसंख्यक स्वीकृति दिनांक 06.04.18 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के बिन्दु संख्या 83 की कियान्विति में 21 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कमोन्नत करने एवं 01 कुवाडिया (गढी) बांसवाडा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने तथा बजट घोषणा संख्या 304 में 02 उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे कमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की गई थी।

उक्त के कम में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुवाडिया (गढी) बांसवाडा के स्थान पर ग्राम पंचायत मुख्यालय पनासी छोटी पंचायल समिति गढी जिला बांसवाडा में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कमोन्नत किये जाने की पदों सहित स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	पदनाम	नार्म्स अनुसार पदों की संख्या	वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र पनासी छोटी में स्वीकृत पद	कमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनासी छोटी हेतु स्वीकृत पद बजट मद 2210–01–197–02–01 PHC TAD (SF)
1.	चिकित्साधिकारी	01	00	01
2.	नर्स श्रेणी द्वितीय	02	00	02
3.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	01	00	01
4.	महिला स्वास्थ्य कार्यकत्ता	01	01	00
5.	फार्मासिस्ट	01	00	01
6.	लैब टैक्नीशियन	01	00	01
7.	*मशीन विद् मैन	01	00	01
8.	**वार्ड ब्वॉय	02	00	02 (पद अलग से सृजित नहीं माने जावेंगे)
9.	***सफाई कर्मचारी	01	00	01
11.	कमोन्नत PHC हेतु कुल पद	11	01	10

* 01 मशीन विद् मैन की सेवाऐं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं नियत राशि पर प्राप्त की जावे।

** पूर्व में स्वीकृत एकमुश्त वार्ड ब्वॉय के पदों से इन पदों को समायोजित किया जावे अर्थात् उक्त पद अलग से सृजित नहीं माने जावे।

(1)

*** 01 सफाई कर्मचारी का कार्य Outsourcing के माध्यम से जोब बेसिस पर RTPP Act/ Rules के प्रावधानों एवं नियत प्रकिया की पूर्ण पालना करते हुए कराया जावे।

–उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवायें नहीं ली जावे, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावें।

–जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान व प्रकियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करे।

–व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

– स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

उक्त पदों पर होने वाले व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संबंधित राज्य निधि बजट मद में पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध कराया गया है फलस्वरूप राशि का व्यय संबंधित राज्य निधि मद से किये जाने हेतु स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 101801664 दिनांक 30.03.2018 एवं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के आई. डी. कमांक F18001319 दिनांक 20.04.18 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

कमांकः योजना/विकास/बजट घोषणा पीएचसी/2018–19/ 537 दिनांकः– 15/5/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित), मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र से कमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सृजित अतिरिक्त पदों को बजट मद के आई0एफ0एम0एस0 में अपलोड करवाने का श्रम करावे।
3. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन उदयपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बांसवाडा।
6. नोडल अधिकारी (एमएनडीवाई/एमएनजेवाई), मुख्यालय।
7. उप निदेशक (सांख्यिकी)/ सांख्यिकी अधिकारी, योजना अनुभाग मुख्यालय।
8. प्रभारी निर्माण प्रकोष्ठ, योजना अनुभाग मुख्यालय।
9. प्रभारी, सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित की ई–मेल आई0डी0 पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर